Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

Help line No 902 416 4000

श्री मान वासूदेव देवनानी जी,

शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार,

जयपुर

विषय – फीस एक्ट को व्यवहारिक बनाने हेतु संशोधन करने बाबत ज्ञापन ।

प्रसंग – फीस एक्ट की धारा 15 के अनुसार दो वर्ष की मियाद मे कठिनाई आने पर निवारण का प्रावधान होने के अनुसार ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे माननीय मुख्यमंत्री जी वसुन्धरा राजे जी ने एवं पूर्व शिक्षा मंत्री जी काली चरण सर्राफ जी ने फीस एक्ट की विसंगतियों को स्वीकार कर इसके समाधान हेतु एक्ट मे संशोधन की बात कही थी , लेकिन व्यस्तता की वजह से दुबारा हमारी उनसे मुलाकात नही हो सकी एवं इस पर कार्यवाही नही हो सकी ।

आप से निवेदन है कि आप इस विषय को आगे बढाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करावे क्योकि बिना फीस एक्ट के व्यवहारिक बने संस्थाएँ बन्द होने की स्थिति मे आ जायेगी ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन निम्न प्रकार है –

1. राजस्थान मे 1.8.2013 से फीस एक्ट लागू हो गया है जिसके अनुसार कुछ सरटेन पैरामीटरर्स के आधार पर 51,000 से अधिक स्कूलों की फीस तय की जानी है ।
2. किसी भी कम्पयूटराईज फार्मूले तय की गई फीस व्यवहारिक नही हो सकती क्योकि विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न आर्थिक सामजिक परिस्थितियॉ है ।
3. इसी वजह से पिछले एक साल से भी अधिक होने के वाबजूद अभी तक एक भी संस्था की न फीस निर्धारित हो पाई है और फीस कमेटी के अनुसार जिनकी हो भी गई है उनमे से कईयों ने स्टे ले लिया है एवं कई स्टे की कतार मे है ।
4. माननीय कोर्ट ने भी फीस निर्धारण प्रक्रिया मे खामी बताई है एवं लिखा है कि इस प्रकार तो कई दशक लग जायेगे फीस निर्धारण मे ।
5. इस एक्ट से न अभिभावक खुश है क्योकि उनको फायदा मिलना तो दूर उनकी शिकायतों तक का निराकरण फीस कमेटी नही कर पाई और उन्हे कोर्ट की शरण मे जाना पड रहा है जो डबल खर्चे को निम्नत्रण दे रहा है ।

6. आय दिन अभिभावको एवं संस्थाओ मे टकराव की स्थिति बन रही है जो कहीं उचित नही है ।
7. इस एक्ट मे अपील का कहीं प्रावधान नही है ।
8. इस एक्ट मे जिला कमेटी को रिकॉर्ड सीज करने का अधिकार दिया गया है जिसे तमिलनाडू कोर्ट तक ने गलत बता खारिज कर दिया था ।
9. यह एक्ट तमिलनाडू से लाया गया है, वहॉ भी यह असफल हो गया तथा वहॉ भी सीबीएसई स्कूलो ने अलग से रास्ता निकाल कर अतिरिक्त फीस लेनी शुरू कर दी जिसे कोर्ट मे चैलेन्ज भी किया गया , पर कोर्ट ने सच्चाई स्वीकार करते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया ।
10. तमिलनाडू मे भी वहॉ के अभिभावको– संस्थाओं एवं शिक्षाविदो ने एक्ट मे बदलाव करने की मॉग उठाई है जिस पर सरकार कार्य कर रही है ।

महोदय , हमारा मानना है कि आप एक कमेटी बना कर उसमे हमारे द्वारा दिये गये ज्ञापन पर शिक्षा विदो– विधि विशेषज्ञों वे अभिभावक के प्रतिनिधियों से बात कर एक व्यवहारिक संशोधन का बिल तैयार कर विधान सभा मे पेश करे जिससे टकराव न हो कर सभी के हितो की रक्षा हो सके एवं राजस्थान मे शिक्षा का वातावरण और अधिक अच्छा बने ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

स्कूल शिक्षा परिवार

ज्ञापन – 2

राजस्थान राज्य मे 1.8.2013 से उक्त अधिनियम लागू हो गया है उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान की 50,883 (30.9.2013तक) संस्थाओं की फीस के संग्रहण को विनिमियत अर्थात फीस तय की जा रही है –– उक्त फीस तय करने की प्रक्रिया के चलते सभी संस्थाओं की स्वायतता एवं संचालन पर गहरा प्रभाव पड रहा है जिसकों लेकर सभी संस्थाओं का सरकार से आग्रह है कि उचित संशोधन के जरिये इसे व्यवहारिक बनाए जाये ताकि अधिनियम अपने उददेश्य एवं संस्थाएँ अपने उददेश्यो का पालन आसानी से कर सके ।

उक्त संशोधन हेतु व्यवहारिक एवं वैधानिक पहलूओं पर निम्नांकित तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रस्तुत है –

1. फीस एक्ट को ले कर राजस्थान मे क्या परेशानी है ।
2. आखिर जो संस्थाएँ मुनाफाखोरी नही कर रही उनको क्या परेशानी है ?
3. फीस एक्ट लागू होने पर संस्थाओं को क्या नुकसान उठाना पडेगा ही पडेगा ।
4. यदि संशोधन नही होगा तो क्या होगा ।
5. राजस्थान मे कुल कितनी संस्थाएँ है तथा उनमे छात्र व शिक्षक कितने है।
6. शिक्षा की महता । 1.
7. फीस के आधार पर संस्थाओं का वर्गीकरण ।
8. मुनाफाखोरी क्या है – कौन कर सकता है – क्या प्रमाण है ।
9. सिसटम का कडवा सच जिसे लग रहा है कि मुनाफाखोरी हो रही है और जो इस संशोधन का विरोध भी करेगा ।
10. सर्वमान्य समाधान क्या हो सकता है ।
11. क्या एक्ट मे संशोधन का प्रावधान है ।
12. क्या कोर्ट मे कितने केस चल रहा है इस सम्बन्ध मे ।
13. क्या कोर्ट मे मामला विचाराधीन होते हुए संशोधन संभव है ।
14. संशोधन की प्रक्रिया मे किस – किस से सुझाव लिये जाये ।
15. संशोधन का क्या फार्मूला हो सकता है ।
16. यह अधिनियम क्यो लाया गया ।
17. क्या यह अधिनियम अपने उददेश्यो मे सफल रहा ।
18. फीस अधिनियम लागू होने के बाद कितने स्कूलों की फीस तय हुई ।
19. इतनी स्कूलों की कर दी तो औरों की भी कर देंगे क्या दिक्कत है ।
20. फीस तय करने की प्रक्रिया क्या है ।
21. फीस कमेटी तो कह रही है कि वह प्रक्रिया का पालन कर रही है ।
22. पहली बार कानून बनता है तो ऐसे ही होता है ।
23. फीस एक्ट जहाँ से लाया गया वहाँ क्या हुआ ।
24. क्या तमिलनाडू की संस्थाएँ कोर्ट मे नही गई ।
25. तमिलनाडू एक्ट का अव्यवहारिक पहलू क्या है ।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बारे मे ।
27. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की विभिन्न राज्यों के न्यायालयो ने क्या व्याख्या की
28. क्या तमिलनाडू मे बदलाव की मॉग उठी ।
29. क्या देश के अन्य हिस्सो मे भी फीस एक्ट लागू है ।
30. महाराष्ट्र फीस एक्ट क्या है ।
31. महाराष्ट्र एक्ट व तमिलनाडू एक्ट मे क्या अन्तर है

shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

.राजस्थान मे फीस एक्ट लागू होने को लेकर आई व्यवहारिक परेशानी जिनकी वजह से एक्ट मे संशोधन की मॉग हो रही है –

1.एक्ट का अव्यवहारिक पक्ष – कोर्ट के बाहर अपील की सुविधा नही ।

यह सच है कि अभिभावको को अनावश्यक खर्चो से बचाया जाये लेकिन यह भी उतना ही सच है कि क्वोलिटी एजूकेशन के लिए पैसा चाहिए **– मा0 सुप्रीम कोर्ट ने 12.4.12 के अपने संविधान पीठ के फैसले के पेज न0 58–59 मे स्पष्ट** किया है । यह भी सच है कि फीस निर्धारण की प्रक्रिया मे फीस निर्धारण के कारक है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बंद कमरे मे प्रश्नावली के माध्यम से कारको की जानकारी नही ली जा सकती है यदि ले भी ली जाये तो बिना निरीक्षण वास्तविकता समझी नही जायेगी और यदि निरीक्षण भी कर लिया जाये तो साल भर उनके उपयोग होने अथवा खाना पूर्ति होने का अंदाजा / कयास ही लगाया जा सकता है ..... इन सब कारको का सही आकलन तो अभिभावक ही करता है । और उसे ही करने दिया जाये । इस एक्ट अपील सुनने का कोई प्रावधान नही है जो किसी भी नियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान होना चाहिए । फीस कमेटी **सुनवाई नही आपत्ति का मौका देती है जो फीस निर्धारण प्रक्रिया का अंग है तो फिर सुनवाई की व्यवस्था कहॉ है ?**

कोर्ट के बजाय कोर्ट के बाहर अपील का अधिकार होना चाहिए ।

2. नियमों के तहत संस्था को चैरिटेबल नेचर का माना गया है – तो क्या कोई चैरिटी करने के लिए भी किसी से पूछे या किसी के बताये नियमो के तहत ही चैरिटी करे ? तो कोई चैरिटी क्यूं करेगा ? आप नियम बना सकते है लेकिन चैरिटी करने की क्रिया को विनीयमित नही कर सकते है ।

3.देश मे हर विषय पर कानून है – लोगो को पालना भी करनी होती है और शिकायत /उल्लघन पर सजा भी भोगनी पडती है –

हम भी ऐसा ही चाहते है । फीस कमेटी एक फार्मूला बना देवे एवं संचालन व गैर संचालन के मद तय कर देवे एवं प्रतिवर्ष बढने वाली मॅहगाई के हिसाब से फीस वृद्वि दर तय कर देवे ।

यदि कोई इसका उल्लघन/शिकायत करे तो नियमो के तहत उस पर कार्यवाही हो । जब किसी को शिकायत ही नही तो फिर कार्यवाही के नाम पर इंस्पेक्टर राज क्यो ?

4.वर्तमान प्रक्रिया के तहत किसी को फायदा होने वाला नही ?

विगत दिनों के समचार पत्रों की कतरन मै यहॉ पेश कर रहा हुॅ जिसे आप ही देख समझ लेवे । यदि फीस कमेटी शिकायत कर्त्ताओं एवं उल्लधन कर्त्ताओ पर ध्यान केन्द्रित करती तो आम जन को इस कानून का फायदा मिलता लेकिन सभी को दायरे मे लेने से किसी को फायदा नही मिला और कानून उलझ कर रह गया ।

5 सरकार के दौहरे नियम – कहने को चैरिटी लेकिन वसूली कॉर्मिर्शियल

1. सरकार के नये नियमों के तहत संस्थाओं को जमीन बाजार भाव पर मिलेगी हॉलाकि पहले भी नाम मात्र की प्रभावशाली संस्थाओं को ही मिलती थी।
2. बिजली पानी के बिल कॉर्मिशियल भाव से पहले ही लगते आ रहे है ।
3. सरकार इनसे यूडी टैक्स लेती है । इन्हे डीजल कौनसी रियायती दर पर मिलता है ?

Shikshaparivar.com
A Portal with Education Total

4. ईएसआई लागू करने के मामले मे मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने केस न0 2291/2005 के 16.5.2005 को दिये अपने फैसले मे स्कूलों को औद्योगिक नैचर का माना है फिर ईएसआई को लागू किया है । और अचम्बे की बात तो यह है कि उन्होने अपने फैसले मे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमे मा0 सुप्रीम कोर्ट ने भी औद्योगिक नेचर का माना है ।वही दूसरी और सुप्रीम कोर्ट 2002 के टीएमएपाई वाले मामले मे चैरिटी नेचर का मानती है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट 2005 मे यह जानते हुए भी इसे इण्डस्ट्री ही मानता है । पहले तो सरकार यह फैसला करे कि यह है क्या ?

सरकार को संस्थाओं को किसी एक श्रेणी मे रख कर नियम बनाने चाहिए ।

6. एक संस्था को मान्यता मे लगने वाले खर्च को देखे तो –

यदि वर्तमान नियमों के तहत कोई भी भारतीय नागरिग अपने व्यवसाय अथवा मुनाफा कमाने के हिसाब से कोई भी कार्य करे तो उसने नियमों के तहत संबन्धित विभाग मे पंजीयन करना होता है जो निम्न प्रकार है एवं केवल एक बार लगता है तथा मुनाफा कमाने की पूरी छूट है । जबकि स्कूल खोलने पर कई बार कई प्रकार के शुल्क लगभग हर साल देने होते है – संस्था संचालन करने वाले के लिए चैरिटी पर सरकार की कमाई का सबसे बडा जरिया – ऑकडे देखे

संस्था प्रकार	पंजीयन शुल्क	मान्यता शुल्क	कमौन्नती शुल्क माध्यमिक	कमौन्नती शुल्क उ0 माध्यमिक	बोर्ड द्वारा शुल्क एफीलियेशन फीस	परीक्षा शुल्क	कीडा शुल्क	सोसायटी नवीनकरण शुल्क प्रति तीन वर्ष
फर्म	1500	–	–					
कम्पनी	15000	–	–					
स्कूल	15000	55,000	3,95,000	4,20,000	4,20,000	छात्र वायज	छात्र वायज	1,000

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

यह तो था लगने वाला शुल्क लेकिन यदि शुल्क वृद्वि को देखे तो 2008–09 मे व सत्र 2012–13 मे शुल्क मे सरकार ने जो वृद्वि की है वो देखिए –

सत्र	सोसायटी	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च मा0	बोर्ड
2008–09	2500	00	40,000	67,000	
2012–13	15,000	55,000	3,95,000	4,20,00	
वृद्वि प्रति0	600%	55,000%	1000%	625%	

कृप्या देखे कौन मुनाफा खोरी कर रहा है ।

उपरोक्त सभी बिन्दूओं के अतिरिक्त 2014–15 से देश मे आरटीई नियम अनिवार्य कर दिया जायेगा जिसके तहत सभी संस्थाओं को मान्यता लेने के लिए स्वंय का खेल का मैदान, नियमानुसार भवन, लगभग 5 एकड संस्थान के नाम भूमि, फर्नीचर, खेल सामग्री व अन्य सुविधाये अनिवार्य की जा रही है

7. समझ से परे है एक तरफ सुविधाएँ एवं सरकारी फीस मे बेहताशा वृद्धि की जा रही है दूसरी तरफ संस्थाओं पर फीस की कटौती की मार ।

राजस्थान की एक भी संस्था एक्ट के वर्तमान स्वरूप को मानने को तैयार नही ।

1. जबकि राजस्थान मे फीस कमेटी के चार बार तारीख बढाने एंव बार–बार मान्यता समाप्ति की धमकी देने के बावजूद लगभग 53,000 मे से 21,262 संस्थाओं ने फीस कमेटी के द्वारा चाही गई सूचना पोर्टल पर दी है लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि फीस एक्ट हमें इस रूप मे मंजूर नही । क्योकि यहॉ की भौगोलिक / आर्थिक / प्रतिव्यक्ति आय / साक्षरता / शिक्षा का स्तर व परिस्थितियॉ भिन्न है जिनकी वजह से वहॉ का फार्मूला अथवा नियम यहॉ सफल हो ही नही सकता । ओर वैसे भी देखा जाए तो यह फार्मूला तो तमिलनाडू मे भी सफल नही हुआ ।

2.. आखिर फीस एक्ट से संस्थाओं को परेशानी क्या है ?

यहॉ यह सवाल भी खडा होता है कि जब आप लोग मुनाफाखोरी कर ही नही रहे तो फिर डर क्यों रहे हो ?

ये वो संस्थाएँ है जो जीविकोपार्जन हेतु चलाई जा रही है ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

1. जैसा कि राजस्थान मे सरकार ने 1.6.2009 को निदेशक मा0 शिक्षा राजस्थान की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया था जिसने विभिन्न संगठनों से राय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों की विस्तृत जॉच के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जिसमे उन्होने वो सब बात लिखी है जो हम कहने जा रहे है । ( )
2. राजस्थान मे तीन प्रकार के शिक्षण संस्थान कार्यरत है । हम तीसरे प्रकार के संस्थानों की बात कर रहे है ।
3. इन संस्थानों की फीस बाजार भाव से अभिभावक तय करता है जिसे फीस तय करने का वास्तविक हक है । वह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के टीएमए पाई केस मे फीस तय करने के फार्मूले को माननीय कोर्ट की मंशा से कही अधिक लागू करते हुए करता है ।
4. इन संस्थानों की प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 प्रतिशत फीस डिसकाउन्ट अथवा डूबत की श्रेणी मे रहती है जो एक कडवी सच्चाई है ।
5. इन संस्थानों मे प्रचलित परम्परों के मुताबिक ... निम्नांकित छूट विद्यार्थियों की दी जाती है –
   1. एक अभिभावक के एक से अधिक बच्चे होने पर दूसरे बच्चे को 20 से 30 प्रतिशत डिस्काउण्ट दिया जाता है । ताकि वह फीस वहन कर सके फायदा अभिभावक का
   2. एक ही अभिभावक के तीन बच्चे होने पर एक को पूर्णत : मुक्त किया जाता है यहॉ भी अभिभावका का ही फायदा देखा जाता है ।

3. विधवा एवं परित्यकता महिलाओं के बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति के मध्यनजर छूट दी जाती है ।
4. एक ही परिवार के एक साथ एक से अधिक बच्चे आने पर सभी बच्चों को कुछ न कुछ रियायत दी जाती है ।
5. टीचर्स के बच्चों को रियायत दी जाती है ।
6. जिन बच्चों का एडमीशन लेट होता है वे 9 माह की ही फीस देते है ।
7. कुछ बच्चों की फीस किन्ही कारणवश नियमित नही आती एव साल के अन्त मे जैसे –तैसे कर फीस निकालने के चक्कर मे सैटलमैन्ट करना पडता है जो निश्यिचत रूप से नुकासान देती ही देती है ।

4

8. कुछ बच्चे बिना फीस दिये संस्था छोड कर चले जाते है । उनकी फीस डूब जाती है ।

3.फीस एक्ट लागू होने पर संस्थाओं को क्या नुकसान उठाना पडेगा ही पडेगा ।

1. ऐसे संस्थानों मे एडमीशन किसी विज्ञापन के जरिए नही हो कर संस्था के व्यक्तिगत आग्रह पर होते है । जिससे अभिभावक की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नही होता है ।
2. यह एक कडवा सच है कि ये संस्थाएँ आजीविका हेतु संचालित संस्थाओं की श्रेणी मे आती है जिन्हे अपने संचालन के लिए बच्चों की अति आवश्यकता होती है क्योकि जितनी कक्षाओं के लिए संस्था ने मान्यता ली है उन कक्षाओं का संचालन वह करता है यदि प्रत्येक कक्षा मे छात्रों की संख्या पर्याप्त होती है तो संचालन खर्च कम आता है इसी सोच के चलते संस्था समझोते पर समझोता करती जाती है
3. ऐसे संस्थानों मे अभिभावको से एक बार जो वादा अर्थात फीस मे छूट अथवा किसी बच्चे को मुफत करने का वादा, उसे संस्था चाह कर भी नही तोड सकती ।
4. भारी प्रतिष्पर्दा के चलते वेसे ही संस्थान संचालन मुश्किल हो रहा है और यदि अभिभावको को फीस कमेटी द्वारा तय फीस प्रत्येक बच्चे से लेने की बात कह दी तो बच्चे छोड कर चले जायेगे एवं ऐसे मे वे ही संस्थान बचेगें जो कुछ समय अपने खर्चो पर संस्था संचालन की स्थिति मे होगें बाद मे या तो ये बन्द कर देगें अथवा फीस मे बढोत्तरी .... दोनो ही स्थितियों मे अभिभावको एवं आमजन का नुकसान तय है ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Educational Tools

4..आखिर इस एक्ट मे संशोधन नही हो तो क्या होगा ?

यह सच है कि जिस प्रकार संस्थाओं की फीस तय हुई है उसे छोटे संस्थान तो किसी भी कीमत पर नही चल पायेगे । क्योकि उनके यहॉ ना तो एडमीशन की लाईन लगती है एवं नियमों की जानकारी के अभाव मे वे अन्य बडी संस्थाओं की तरह ऑकडों का खेल नही खेलती है । प्रत्येक संस्थान की फीस 35 से 45 प्रतिशत तक कम हो रही है । साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि तथा कथित बडे स्कूलों की फीस मुश्किल से 1 से लेकर 5 प्रतिशत तक कम हो रही है जबकि इनकी प्रतिवर्ष फीस बढोत्तरी 20 प्रतिशत से उपर रहती है ।

5.राजस्थान मे निजी विधालयों एवं उनमे अध्धयनरत छात्रों व अध्यापकों की संख्या

1.यह कि राजस्थान मे वर्तमान मे 30.9.2013 की सूचना के आधार पर

1.	शिक्षा विभाग के गैरसरकारी	50,301	सूचना आधार 30.9.2013
2.	सीबीएसई के	261	30.9 .2013
3.	संस्कृत शिक्षा के गैरसरकारी	313	सूचना आधार 2008
4.	मदरसे	1390	अपुष्ट सूत्र
5.	विशिष्ठ विधालय	08	30.9.2013
	कुल . ——	50,883	

2.इन विधालयों मे 30.9.2014 की स्थिति मे 86,23,567.छात्र...एवं 5,43,231 शिक्षक कार्यरत है

3. यह कि राजस्थान मे शिक्षा के क्षेत्र मे 13–14 की बोर्ड मेरिट मे 108 मे से 107 मेरिट निजी संस्थाओं ने दी है ।

4. यदि हम क्वालिटी एजूकेशन के बात करे तो सरकारी स्कूलों मे प्रतिछात्र औसत शिक्षक संख्या 4.2 है एवं निजी अनएडेड मे औसत शिक्षक संख्या 8.8 है ।

5.भवन एवं सुविधओं की बात करे तो सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों मे सर्वे के अनुसार 10 सरकारी 90 निजी शिक्षण संस्थान का रेशो आता है ।

Shikshaparivar.com
A Portal with Education Portal

6. यह कि वर्तमान मे आरटीई की पुनःभरण राशि 14,300 रू0 आई है जो कि केवल टीचर्स की सैलरी के आधार पर है जबकि राजस्थान मे वर्तमान मे 35,467 पद खाली है एवं प्रतिविधालय सरकार द्वारा इनके संचालन का खर्च एवं अन्य खर्च जो केवल स्कूली शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है , उसे देखें तो प्रतिछात्र. 20,300 से उपर होगा ।

अधिक से अधिक संस्थान खुलना जनहित मे ।

ज्यादा से ज्यादा निजी विद्यालयों का होना सरकार एवं अभिभावक दोनो के हित मे है क्योकि यदि सरकार अपने विद्यालयों का सरकार के स्तर पर फण्ड की कमी होती है एवं सरकार का

95 प्रतिशत पैसा केवल सेलरी पर खर्च हो जाता है और बाकी विकास के लिए हमेशा पैसे की कमी रहती है । इसे माननीय मु0 मत्री वसुन्धरा राजे जी कई कह चुकी है ।

जितने अधिक निजी शिक्षण संस्थान खुलेगें तो कम्पीटीशन के चलते आम जन को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सस्ते मे उपलब्ध करायेगें और सरकार को डिमाण्ड नही होने के कारण कम से कम विधालय खोलने पडेगे जिसके चलते वह अपने बजट का उपयोग अन्य विकास कार्यो मे कर सकगी ।

6.. शिक्षा की महता –

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कुल बजट का 11.5 प्रतिशत खर्च करने का लक्षय रखा गया था 2012 के बजट मे ।
2. आरटीआई अधिनियम 2009 मे सरकार ने निःशुल्क शिक्षा पर 2.3 टिरलियन रूप्ये 2014–15 तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है ।
3. 2008 मे नॉलेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे क्वालिटी एजूकेशन की बात कहते हुए हर स्तर पर निजी शिक्षण संस्थानों की भारी वकालत की थी ।

यहॉ यह कहना अतिश्योक्ति नही होगी कि निजी शिक्षण संस्थानों के चलते ही भारत मे न केवल शिक्षा के स्तर मे सुधार हुआ है बल्कि ड्रपऑउट रेट काफी कम हो गया है एवं राजकीय कोष पर शिक्षा के लिए अलॉट बजट के खर्च मे कमी आई है । क्योकि अधिकॉश अभिभावक अपने बच्चों को अपने खर्चे पर निजी विधालयों मे पढाते है ।

7.. फीस के आधार पर संस्थाओं का वर्गीकरण –

फीस के लिहाज से राजस्थान की स्कूलों का फीस कमेटी के ऑकडो के आधार पर वर्गीकरण –जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान की अध्यक्षता मे गठित समिति ने भी अपनी रिपोर्ट मे इसका उल्लेख है ।

1. राजस्थान मे इस वक्त लगभग 55,000 स्कूल संचालित है जिनमे 3.9.2013 की राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के आधार पर 50,883 स्कूल है ।
2. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट को माने तो 90 प्रतिशत संस्थाएँ न केवल कानून की पालना कर रही है बल्कि अपनी फीस बाजार भाव से तय करती है – अर्थात 49,500 संस्थाओं मे मुनाफाखोरी की बात सरकार भी नही मानती है ।
3. इसमे भी हम आरटीई फीस पोर्टल की बात करे तो लगभग 35,000 संस्थाएँ 8,000 रू0 से कम वार्षिक फीस ले रही है ।
4. 25000रू0 से अधिक वार्षिक फीस लेने वाली संस्थाओं की बात करे तो उनकी संख्या फीस कमेटी के अनुसार 230 है एवं हमारे अनुसार 410 के करीब संस्थाएँ होगी ।

कुल संस्थाएँ	1000–3000 वार्षिक फीस	3001 से 5000 वार्षिक फीस	5000 से 8000 वार्षिक फीस	8000 से 15000	25000 से अधिक
50,883	16,267	10,090	8,790	15,000	410

8. मुनाफाखोरी क्या है ? कहॉ संभव है ? क्या उसका कोई प्रमाण हो सकता है ?

Shikshaparivar.com
A Total NRI Education Portal

संस्थाओं के वर्गीकरण के पश्चात हमे यह समझना होगा कि मुनाफाखोरी क्या है ? कहॉ संभव है ? क्या उसका कोई प्रमाण हो सकता है ?

1.मुनाफाखोरी क्या है – माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस्लामिक एकेडमी वाले निर्णय मे जस्टिश सिन्हा ने सर्व सहमति के हवाले से इसे परिभाषित किया है – **Profiteering has been defined in Black's law Dictionary, fifth edition as " Taking advantages of unusual or exceptional circumstances to make excessiove profit."** यदि सामान्य भाषा मे कहे तो – " किसी की मजबूरी का फायदा उठा कर अधिक मुनाफा कमाना । "

2.कहॉ संभव है ? – यह सर्वविदित है कि जहॉ मॉनोपोली हो वही मुनाफाखोरी संभव

यहॉ हमे एडमीशन के प्रोसेस को समझना होगा – संस्थाओं मे दो तरह एडमीशन होते है – 1. जहॉ एडमीशन फार्म लेने के लिए कतार लगी रहती है एवं एडमीशन फार्म 1500 से 2500 प्रतिछात्र तक बेचे जाते है जिसमे एडमीशन की कोई गारन्टी नही होती – ओर एडमीशन नही होने पर यह राशि लौटाई भी नही जाती

2. जबकि दूसरी और एडमीशन फार्म मुफत मे दिया जाता है एवं संस्था घर–घर जा कर एडमीशन का निवेदन करती है ।

साथ ही हम संस्थाओं के संचालन मे आने वाले खर्चे के तरीके को भी समझना होगा

सही मायने मे इन संस्थानों मे संचालन खर्च अन्य संस्थानों की अपेक्षा कम आता है क्योकि उनके यहॉ स्वीकृत कक्षा मे बच्चे कम होते है एवं इनके स्वीकृत संख्या से अधिक होते है ।

1. उनके यहॉ संख्या 100 से लेकर 300 अधिकतम 1000 होती है और इनके यहॉ 4000 से लेकर 10000 तक ।
2. उनके यहॉ डूबत 35 से 45 प्रतिशत तक और इनके यहॉ निल
3. उनके यहॉ शिक्षा हर सकरारी काम रिश्वत से इनके यहॉ मुफत एवं जल्दी से ।
4. उनको न भूमि न भवन या कोई अन्य रियायत – इनको ये सुविधाऍ एक ही नही कई संस्थानों के लिए मिल जाती है ।
5. उनके यहॉ कोई सीए या अकाउन्टेन्ट नही होता इनके यहॉ ऑकडों से खेलने के लिए एक लम्बी चौडी फौज होती है । ... आदि... आदि

यहॉ अभिभावक को पता होता है कि एडमीशन हो या ना हो पर पैसा वापस नही मिलेगा, पर अभिभावक के पास पैसा जमा कराने के अलावा कोई विकल्प नही होता । यहॉ अभिभावक की मजबूरी का फायदा संस्था उठाती है – इसे ही मुनाफाखोरी कहते है ।

ये संस्थाऍ ही मुनाफाखारी कर सकती है इसका प्रमाण है –

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Focus

1. मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय मे मुनाफाखोरी / अनियमितता रोकने के लिए 2004 मे दायर किया गया केस जिसे कोर्ट ने जनहित याचिका माना किस संस्था ने की शिकायत पर ऐसा हुआ देख ले– ( )
2. पैरेन्टस वैलफेयर सोसायटी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय , जयपुर पीठ मे फीस एक्ट को लागू करवाने हेतु 19.2.14 को दायर केस जिस पर 10.7.2014 को मा0 उच्च न्यायालय ने फीस कमेटी के गठन के निर्देश राज्य सरकार को दिये । शिकायत मे किन संस्थाओं का जिक्र है देखे ( )
3. राजस्थान मे फीस एक्ट लागू होने से पूर्व एवं लागू होने के बाद गठित फीस कमेटी को प्राप्त शिकायते इसका सबसे बडा सबूत है। ऐसी शिकायतो का ऑकडा 50 से अधिक नही है ।वो किन संस्थाओं की है देख लेवे ।
4. नोट – फीस कमेटी के सूत्रों के हवाले से –कुछ चंद नामी गिरामी संस्थाओं की शिकायते आई है जो 25,000 से अधिक वार्षिक फीस वसूल रही है एवं जिनके एडमीशन की कतार रहती है ।

9. सबसे बडा सबूत जिसे मानेगा कोई नही लेकिन यह कडवा सच है –

हमारे देश /राज्य के सिस्टम का यह कडवा सच है कि सत्ता को प्रभावित करने वाले /संचालन करने वाले/निगरानी करने वाले सभी के बच्चे ऐसे ही संस्थानों मे अध्ययनरत होते है । ओर जब उनके साथ कोई अन्याय होता है तो रातो–रात कानून बन जाता है । जो उनको सूट करे वो कानून ओर जो नही करे उसे बदलने के लिए विधानसभा से संसद तक तैयार रहती है । मीडिया हो अथवा न्यायपालिका सभी अपने उपर लगे इल्जामों पर अलग ही ढंग से पेश आते है और जब यही इल्जाम आम आदमी पर लगता है तो कानून बहुत द्रुत गति से पेश आता है । **यही सें इस कानून की शुरूआत हुई है ।**

Shikshaparivar.com
A Portal with Education Total

10.फीस निरर्धारण एक्ट की जरूरत उपरोक्त मे से ही किसी महाश्य को महसूस हुई –?

जमीनी हकीकत देखी जाए तो पूर्व मे शिक्षा के क्षेत्र मे प्रोत्साहन की सरकार की नीति के चलते बहुत सारे ऐसे संस्थान न केवल स्थापित हुए बल्कि उन्होने समय का फायदा उठाते हुए टोकन मनी पर जमीन ली एवं तत्कालीन नियमों के तहत 90 प्रतिशत तक मिलने वाली सरकारी सहायता के बल पर अपने आप को ब्राण्ड बना लिया । आज इन संस्थानों मे एडमीशन के लिए लाईन लगती है । इनका संचालन बडे राजनेता अथवा बिजनिश घराने अथवा तथा कथित धनाडय समाज के हाथों मे है । यहॉ इनकी मनमर्जी चलती है ।

यहॉ यह देखना दिलचस्प होगा कि – सरकार/मीडिया/न्यायपालिका/सामाजिक संगठन कि कर्त्ताधर्त्ता लोगों का वास्ता ऐसे संस्थानों से पडता है इसीलिए सभी को लगता है कि संस्थाओं मे मुनाफाखोरी हो रही है इसलिए कानून होना जरूरी है । ( )

11..आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो जो सर्व मान्य हो एवं सभी के हित का हो जिससे न एक्ट की मूल भावना बदले और ना ही कोर्ट की मंशा की अवेहलना–

इस सवाल का जवाब देने से पहले निम्न तथ्यों को समझना जरूरी है –

1. क्या एक्ट मे प्रोविजन है कि इसमे संशोधन अथवा बदलाव किया जा सके ।
2. क्या राजस्थान उच्च न्यायालय जो इसे मॉनीटर कर रहा है अथवा जिसके निर्देश पर यह एक्ट आया , उसमे प्रकरण विचाराधीन होने पर विधानसभा बदलाव कर सकती है
3. किस तरह का बदलाव हो – ?
4. बदलाव मे किस – किस के सुझाव लिये जाये

5 आखिर किन किन स्थितियों को ध्यान मे रखा जाये ।

उपरोक्त सवालों का वैधानिक जवाब बिन्दूवार निम्नानुसार होगा –

12. क्या एक्ट मे संशोधन का प्रावधान है ?

1. राजस्थान विधालय फीस के संग्रहण का अधिनियम 2013 की धारा 15 मे प्रावधान है कि व्यवहारिक कठिनाई आने पर इसमे लागू होने के दो वर्ष के भीतर संशोधन संभव है ।

13. क्या इस एक्ट को ले कर कोई केस कही चल रहा है ?

1. राजस्थान उच्च न्यायालय मे 2004 मे एक रिट दायर हुई जिसमे सुनवाई के दौर माननीय उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड जस्टिस पी.के. तिवारी की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया जिसमे एक ऐसे मैकेनिजम अथवा रेगूलेटरी अथॉरिटी की बात कही जो निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमजी / मुनाफाखोरी पर लगाम लगा सके ।

2.राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन 31.12.2008 मे किया जिसने पी.के तिवारी कमेटी की रिपोर्ट, निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अभिभावक संध के प्रतिनिधियों , मा0 सुप्रीम कोर्ट के निणयों, राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 के नियम 1993 एवं 56 विधालयों की फीस वृद्वि का विश्लेषण किया । एक रिपोर्ट तैयार की जो तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री तक गई एवं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य सचिव स्वयं सभी पक्षों से मिले एवं एक आदेश दिनॉक 1.6.2009 को निकाला गया ।

इस कमेटी ने अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट मे त्तकालीन नियमों मे राज्य सरकार को फीस को रेगूलेट करने के सम्बन्ध मे सक्षम नही मानते हुए एक रेगूलेटरी आयोग की जरूरत जताई ।

3.इस सब के विरूद्व सोसायटी फोर अनएडेड स्कूल्स ने उच्चतम न्यायालय मे एक याचिका दायर की जिस पर मा0 उच्चतम न्यायाल से राजस्थान हाईकोर्ट से याचिका का 6 माह मे निस्तारण करने के निर्देश के साथ याचिका लोटाई ।

4.माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश एवं स्वयं उच्च न्यायालय मे चल रही जन याचिका के निपटारे के मामले मे उच्च न्यायालय ने सरकार से ऐसा मैकेनिजम बनाने को कहा जिससे मुनाफाखोरी / मनमानी वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकी ।

5.सरकार ने इन्ही प्रयासों के चलते जल्दबाजी मे तमिलनाडू के एक्ट की हुबहु कॉपी कर न्यायालय को सूचित करते हुए विधानसभा मे बिल पेश किया ।

Shikshaparivar.com
A Right With Education Trust

6.विधान सभा मे इस बिल पर दुर्भाग्यवश चर्चा नही हो सकी वरना कोई हल निकलता अथवा यो कहे कि सभी प्रताडितो को एक मौका मिला – बदला लेने का ।

यहॉ यह ध्यान रहे कि न्यायालय का ऐसा मैकेनिजम बनाने का प्रकरण यही समाप्त हो जाता है लेकिन सरकार द्वारा एक्ट बनाने के बाद फीस कमेटी नही बनाने को लेकर पुन : पैरेन्टस वैलफेयर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट इस केस को मॉनीटर कर रहा है –

1. फीस कमेटी को कोर्ट को रिपोर्ट करनी होती है ।
2. सोसायटी फार अनएडेड स्कूलस एवं स्वयं सेवी शिक्षण संस्था ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे एक्ट को चैलेन्ज करने की याचिका दायर कर रखी है जिस पर सरकार को नोटिस जारी हो चुके है ।
3. दो संस्थाओं की तरफ से कोर्ट मे फीस कमेटी की फीस तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्टे ले रखा है ।
4. स्कूल शिक्षा परिवार संगठन ने मॉनीटर कर रहे केस मे कैवियट लगा कर जिन संस्थानो ने फीस कमेटी को आपत्ति पत्र भेजे है , उनका फीस कमेटी द्वारा जवाब नही दिये जाने बात पर एक अलग से रिट एवं एक कैवियट दायर कर रखी है ।
5. स्कूल शिक्षा परिवार संगठन ने एक्ट मे संशोधन बाबत भी एक याचिका कोर्ट मे दायर करने की योजना बना रखी है जिस पर कार्य चल रहा है ।

14. क्या कोर्ट मे मामला पैडिग होने पर संशोधन संभव है ?

.क्या इन सब प्रकरणो के बावजूद सरकार कोर्ट मे मामला विचाराधीन होते हुए एक्ट मे संशोधन कर सकती है – यही सवाल जब हमारे संगठन ने विधि विभाग से पूछा तो उनका जवाब था – हॉ

1. क्योकि एक्ट लागू है एवं एक्ट के सभी प्रावधान जिस प्रकार बिना किसी रूकावट के कार्य कर रहे है उसी प्रकार प्रावधान 15 के तहत सरकार विधानसभा के जरिये संशोधन आसानी से कर सकती है ।
    1. क्योकि एक्ट को चैलेन्ज संस्थाओं के संगठन अथवा संस्थाओं ने कर रखा है और जब संशोधन संस्थाओं के पक्ष मे हो तो कोर्ट एतराज नही जता सकता और संस्थाओं के पक्ष मे होने से संस्थाऍ केस वापस ले लेगी ।
    2. जहॉ तक कानून की बात करे तो विधान सभा पूर्ण स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए यदि कोर्ट को लगता है कि वह संवैधानिक नही है तो उसे निरस्त कर दे लेकिन वह विधानसभा को न रोक सकता न निर्देश दे सकता ।
    3. जहॉ तक मॉनीटर कर रहे केस की बात करे तो कोर्ट एक्ट को मॉनीटर कर रहा है – जो विधान सभा ने बनाया – आगे भी विधानसभा जेसा चैनज करेगी वह उसे मॉनीटर कर लेगा ।

15. किस – किस से सुझाव लिये जाये –

1. एक्ट से प्रभावित सभी लोगो जैसे संस्थाओं के संगठन एवं अभिभावको के संगठन एव शिक्षा विदो व विधि विशेषज्ञो की राय ली जा कर संशोधन प्रारूप बनाया जाये ताकि न्यायालय मे चैलेन्ज करने पर भी सही ठहराया जा सके ।

16. किस तरह का बदलाव हो – एक ऐसा संतुलित बदलाव हो जिससे सभी संतुष्ट हो जैसे –

1.सरकार संचालन एवं गैर संचालन खर्चे के फलैक्सीबल प्रतिशत तय हो ।

2.प्रस्तावित आय व वास्तविक आय से समन्वय बिठाते हुए

3.संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाओं के आधार पर रीजनेबल सरप्लस व

4.प्रतिवर्ष फीस वृद्वि का प्रतिशत तय करते हुए संस्था को अपने स्तर पर ही फीस तय करने की आजादी दे

5.बीच सत्र म फीस बढौत्तरी नही करने/संस्था मे छात्रों पर अनावश्यक वस्तु खरीदने पर दबाव न बानाने आदि जरूरी निर्देश शामिल किये जाये।

6.जितने छात्रों को एडमीशन दिया जाए उनके ही पैसे रखे जाए बाकी के लौटा दिए जाए ।

7.शिकायत निवारण हेतु– यदि किसी की कोई शिकायत आये तो उसके तहत तय फार्मूले के आधार पर कार्यवाही करने के लिए दो स्तर पर जिला/राज्य कमेटियो को सुनवाई का अधिकार दिया जाये जिससे सभी को समय पर न्याय मिल सके । अथवा

8.महाराष्ट्र पैर्टन अपनाया जा सकता है ।

Shikshaparivar.com
A Portal with Education Total

फीस एक्ट पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ।

17.अधिनियम क्यों लाया गया ?

उक्त अधिनियम निजी शिक्षण संस्थाओं मे फीस वसूली की अनियमितताओं व मुनाफाखोरी पर रोक लगाने एवं सुविधाओं के हिसाब से फीस अवधारित करने की मूल भावना के चलते यह अधिनियम लागया गया ।

18.क्या इस अधिनियम से उक्त उददेश्य की पूर्ति संभव हो पाई ?

न हो पाई है और ना ही हो पायेगी । क्योकि पिछले 1.8.2013 से लागू होने के पश्चात भी आज तक फीस को लेकर अभिभावकों की शिकायत तक का समाधान नही हो सका । जिसे ले कर अभिभावक संध तक मे आक्रोश व्याप्त है ( )

जहॉ तक कुछ संस्थाओं की फीस अवधारित करने का सवाल है तो राजस्थान के लगभग **55,000 (30.9.2013 -31.10.14) स्कूलों मे से 21,254 व** 230 स्कूलों की फीस अवधारित करने की बात फीस कमेटी ने दिनॉक ..... को पेश रिपोर्ट मे कोर्ट को अवगत कराई है । ( )

जबकि सच्चाई यह है कि...

राजस्थान मे 30.9.2013 तक की सूचना के आधार पर शिक्षा विभाग 50,301 सीबीएसई 261 संस्कृत 313 (2008तक)एवं मदरसे.....अधिकृत रूप से पंजीकृत है । एवं 30.9.13 से 14 तक लगभग 3000 और होगें । अर्थात फीस कमेटी के पास तो वास्तविक स्कूलों के ऑकडे तक नही।

19.फिर भी इतने स्कूलों की तो कर दी बाकी की भी कर देंगें ?

यह संभव नही है क्योंकि जिनकी फीस अवधारित करने की बात फीस कमेटी कर रही है उनमे भी नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नही कर केवल खानापूर्त्ति कर दी गई जिसकी वजह से दो संस्थाओं ने तो स्टे ले लिया एवं लगभग तीन संगठनों ने कोर्ट मे रिट दायर कर रखी है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनॉक 7.10.2014 को एक संस्था की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान फीस कमेटी की प्रक्रिया पर गम्भीर सवाल उठाते हुए फीस तय करने मे दशको लगने की बात कहते हुए फीस कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये ( )

20.फीस अवधारित करने की प्रक्रिया क्या है ?

एक्ट के प्रावधानानुसार फीस कमेटी को धारा .... मे बताये गये कारको के आधार पर फीस अवधारित कर धारा 6(2) का नोटिस देना होता है जिस पर ऐतराज होने पर संस्था फीस कमेटी को आपत्ति दर्ज कर सकती है एवं तदोपरान्त फीस कमेटी को आपत्ति पर संस्था को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जा कर फीस निर्धारित किये जाने का प्रावधान है –

21.फीस कमेटी तो कह रही है कि उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है ?

फीस कमेटी सरकार/ कोर्ट व जनता को सच्चाई बताने से डर रही है क्योकि यह वो भी जानती है कि फीस निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमे इतने स्कूलों की फीस उक्त प्रक्रिया मे तय होने मे कई दसक लग जायेगे लेकिन अपनी गलती कोन स्वीकार करता है ।

22.फीस अवधारित करने मे कमेटी की प्रक्रिया मे क्या खामी रही ?

1. **फीस कमेटी ने विगत एक साल मे चार प्रपत्र जारी किये एवं उनमे बार–बार संशोधन करती रही**
2. **हर बार एक नया प्रपत्र लाने से संस्थाओं असमंजस की स्थिति रही एवं व कमेटी को कॉओपरेट नही कर सके ।( )**
3. **फीस कमेटी नये–नये नियम निकलती रही एवं उन्हे बदलती रही । ( )**
4. **कोर्ट मे अपना कार्य दिखाने की जल्दबाजी मे स्कूलो की संख्या तक कोर्ट मे गलत बताई । एवं संस्थाओं को भी गुमराह किया ( )**
5. **जिन 21,254 स्कूलों की फीस अवधारित करने की बात कमेटी ने कोर्ट को लिखी... उनकी फीस आरटीई पोर्टल से डाउनलोड कर के बिना किसी कारक के संस्थाओं को अव्यवस्थित रूप सें सूचित की जो प्रक्रिया का खुल्ला उल्लधन है क्योकि संस्थाओं को नियमानुसार 6(2) का नोटिस**

Shikshaparivar.com
A Portal for Education Total

नही मिलने से वे आपत्ति दर्ज नही करा पाई । इसी वजह से उनमे से अधिकॉश ने सामुहिक रूप से कोर्ट मे एक केवियट एवं याचिक अलग से दायर कर रखी है । ( )

6. 21,254 संस्थाओं को नोटिस तो दूर सूचना तक नही कर पाई जिसका उदाहरण स्वयं फीस कमेटी के अखबार को दिये स्टेटमेन्ट है ( )
7. जिला शिक्षा अधिकारियों ने अवधारित को निर्धारित बता नोटिस दिये जिसकी वजह से भी बहुत सारी संस्थाएँ न पोर्टल भर सकी और ना ही आपत्ति ( )
8. राजस्थान के तथा कथित 25000 रू0 से ज्यादा वार्षिक फीस लेने वाले संस्थानों की फीस अवधारित एवं उनमे से कुछ की निर्धारित करने का काम जरूर एक साल मे हो सका लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन संस्थाओं की रिट याचिकाओं पर एक– एक कर स्टे देना शुरू करते हुए फीस कमेटी की प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली पर सवाल किये है ।

हॉ यह सच जरूर है कि एक साल मे फीस कमेटी ने राजस्थान मे संस्थाओं एवं अभिभावकों मे वैमन्सयता का माहोल बनाने मे एवं नये लोगों को संस्था खोलने से रोकने एवं वर्तमान मे संस्था संचालन कर रहे लोगों को शिक्षण व्यवस्था से ध्यान हटा कर आंदोलन करने अथवा अपनी संस्था बंद कर कुछ नया करने की दिशा मे काम करने का माहोल बनाया है ।

23.कोई भी कानून जब पहली बार लागू होता है तो ऐसा ही होता है बाद मे सब ठीक हो जायेगा ?

यह माना जा सकता था यदि इस कानून का इतिहास हमे मालूम नही होता तो ।

24.फीस एक्ट का इतिहास ?

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

राजस्थान मे लागू फीस एक्ट मूलत तमिलनाडू से लाया गया है जहॉ कि व यहॉ की परिस्थितियों एवं शैक्षिक स्थिति मे काफी अन्तर है –

3. वहॉ की साक्षरता दर एवं सरकारी स्कूलों का शैक्षिक स्तर राजस्थान के हर तरीके से काफी अच्छा है – इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहॉ के कई जिला कलेक्टर सहित कई अहम पदे पर कार्यरत राजनैतिक / प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे निजी की बजाए सरकारी स्कूलों मे पढेते है । जबकि राजस्थान मे एक भी नही।
4. वहॉ 2009 मे जब यह एक्ट लाया गया तब केवल 10,934 स्कूल थे जबकि राजस्थान मे 2013 मे 53000 के करीब ।
5. वहॉ कि संस्थाओं को जब फीस कमेटी ने सूचना देने के लिए कहॉ तो 10,233 ने सूचना तत्काल दे दी तथा फीस कमेटी ने 5628 की फीस को एज इट इज रख दिया
6. इस सब के बावजूद तमिलनाडू मे लगभग 4500 संस्थाओ ने विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामुहिक एवं संगठनों के माध्यम से कोर्ट मे केस दायर कर रखे है एवं दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक संस्था की याचिका पर विसतृत सुनवाई के बावजूद न फीस कमेटी की प्रक्रिया मे बदलाव आया है ओर ना ही होने वाले कोर्ट केसेज मे बदलाव ।

7. यहॉ यह भी देखना दिलचस्प है कि हर संस्था की कोर्ट मे सुनवाई के बाद फीस मे बढोत्तरी हुई ओर वहॉ के कोर्ट ने 3.5.2013 के अपने निर्णय मे फीस कमेटी को सख्त हिदायत के साथ अपनी प्रक्रिया मे बैलेस बैठाने का निर्देश देना पडा लेकिन फिर भी हालत जस के तस है । ( )
8. वहॉ के सीबीएसई स्कूलों ने इससे फीस प्रक्रिया की खामी के चलते एक नया तरीका खोज निकाला– अपने पढाई के समय को कुछ कम कर एक्टिविटी के नाम पर पैसा वसूलने लगे जिसे कोर्ट मे चुनौती दी गई लेकिन सीबीएसई एवं कोर्ट ने इस प्रकार की एक्टिविटी के नाम पर ली जा रही फीस को उचित मानते हुए कार्यवाही करने से मना कर दिया । ( )
9. तमिलनाडू मे पिछले चार सालो मे केवल 130 संस्थाएँ खुली है एवं लगभग 1390 संस्थान बंद हो चुके है । ( )

25.क्या तमिलनाडू के की संस्थाओं ने फीस एक्ट के विरूद्व कोर्ट मे अपील नही की थी?

तमिलनाडू की 10233 संस्थाओं मे से 6700 ने कोर्ट मे फीस एक्ट के विरूद्व अपील की थी जिसे मद्रास होई कोर्ट ने 9.4.2010 के फैसले फीस कमेटी की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी लेकिन डबल बैंच ने अपने फैसले मे फीस एक्ट को निम्न आधार पर वैधानिक करार देते हुए सही माना –

1. सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि 5628 संस्थाओं की फीस एज इट इज रख दी एवं बाकी को भी व्यक्तिगत अवसर देते हुए (पहली साल मे ऐसा होता है का तर्क देते हुए) किसी प्रकार की हानि नही होने देने का वादा किया ।
2. 10,233 मे से अधिकॉश संस्थाओं द्वारा फीस एक्ट का विरोध न करने की बात कही
3. क्योकि तमिलनाडू की शैक्षिक परिस्थितियॉ फीस एक्ट के अनुकूल थी ।
4. फिर भी फीस एक्ट मे जिला कमेटियों को दिए अधिकारों को गलत बताते हुए कोर्ट ने उन्हे अस्वीकार कर दिया ।

Shikshaparivar.com

यहॉ यह ध्यान देने योग्य है कि देश मे पहले कही भी फीस एक्ट नही था एवं मद्रास कोर्ट मे पहली बार केस आया तथा तत्कालीन परिस्थितियों के मध्यनजर उन्होने उसे कुछ कमियों के साथ सही ठहरा दिया लेकिन बाद मे जब केसों के अंबार लगें एवं एक्ट के अव्यवहारिक पहलू से कोर्ट का सामना हुआ तो यही कोर्ट फीस कमेटी की प्रक्रिया पर न केवल प्रश्न चिन्ह लगाने लगे एवं संस्थाओं द्वारा एक्टिविटी के नाम पर की जा रही फीस वसूली को सही माना एवं रोक लगाने से इंकार कर दिया ।

5. **माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप से इंकार किया जिसका दो अर्थ लगाये जा सकते है – एक मा0 सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट को सही मान लिया – दूसरा मा0 सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया देखने के लिए हस्तक्षेप से इंकार किया वर्ना इसको पूर्ण वैधानिक बनाना होता तो वह सुनवाई कर इसे सही ठहराता । ना कि हस्तक्षेप से इंकार करता । जैसा कि मा0 सुप्रीम कोर्ट ने 16.4.14 के डीएवी बनाम उडीसा वाले मैटर मे अपना फैसला दिया । ( ) अत : इसे सुप्रीम कोर्ट की सहमति मानना जल्दबाजी** होगा ।
6. फीस एक्ट लागू होने के बाद मद्रास मे निजी शिक्षा के क्षेत्र मे आई गिरावट एवं संस्थानों एवं अभिभावको के बीच बढ रहे तनाव व हाई कोर्ट मे लग रही मुकदमों की अंबार को देखते हुए कोर्ट ने एक्टिविटी के नाम पर निजी शिक्षण संस्थानों ,द्वारा वसूली जा रही अतिरिक्त राशि जो 3000रू0 से

9000 रू0 तक है , पर रोक लगाने से इंकार कर दिया एवं कहा कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के विकास के लिए यह जरूरी है । ( )

26.तमिलनाडू एक्ट का अव्यवहारिक पक्ष –

यह सच है कि अभिभावको को अनावश्यक खर्चो से बचाया जाये लेकिन यह भी उतना ही सच है कि क्वोलिटी एजूकेशन के लिए पैसा चाहिए – मा0 सुप्रीम कोर्ट ने 12.4.12 के अपने संविधान पीठ के फैसले के पेज न0 58–59 स्पष्ट किया है । यह भी सच है कि फीस निर्धारण की प्रक्रिया मे फीस निर्धारण के कारक है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बंद कमरे मे प्रश्नावली के माध्यम से कारको की जानकारी नही ली जा सकती है यदि ले भी ली जाये तो बिना निरीक्षण वास्तविकता समझी नही जायेगी और यदि निरीक्षण भी कर लिया जाये तो साल भर उनके उपयोग होने अथवा खाना पूर्ति होने का अंदाजा / कयास ही लगाया जा सकता है ..... इन सब कारको का सही आकलन तो अभिभावक ही करता है । और उसे ही करने दिया जाये । इस एक्ट अपील सुनने का कोई प्रावधान नही है जो किसी भी नियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान होना चाहिए । फीस कमेटी सुनवाई नही आपत्ति का मौका देती है फीस निर्धारण प्रक्रिया का अंग है तो फिर सुनवाई की व्यवस्था कहॉ है ?

27. **माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस सम्बन्ध मे ।**

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की व्याख्या की जाये तो एक बात स्पष्ट नजर आती है– माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न कभी फीस कमेटी को मान्यता दी है ओर ना ही नकारा है – वह हमेशा निजी शिक्षण संस्थाओं की स्वायतता का प्रबल समर्थन करते हुए उन्हे सभी अधिकार देते हुए रीजनेबल सरप्लश की बात तो करता है लेकिन वही मुनाफाखोरी से रोकने की बात भी करता है । मा0 कोर्ट राज्य सरकारों से एक ऐसा मैकेनिजम बनाने की बात तो करता है जो बैलेन्सड रास्ता अपनाये ताकि सभी को न्याय मिल सके । लेकिन रिजिड फार्मूले का विरोध करता है ।

28. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अन्य राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा व्याख्या –

यहॉ– माननीय सुप्रीम कोर्ट के निजी शिक्षण संस्थानों मे फीस तय करने के अधिकार / रीजनेबल सरप्लस लेने के अधिकार/ संस्थाओं को आजीविका अथवा मिशिन मानने के अधिकार एवं कितने स्वायतता दी जाए एवं कितना रेगूलेशन लगाया जाये .... के समब्न्ध मे दिये गये विभिन्न निर्णयो की निषपक्ष कानूनी व्याख्या एवं एक ही निर्णय का विभिन्न राज्यो के उच्च न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न व्याख्याओ को देखना दिलचस्प होगा ( )

1. महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की डीबी बैंच **ने अपने फैसले 1.9..2010 मे निजी शिक्षण संस्थाओं के फीस तय करने का अधिकार निजी शिक्षण संस्थानों** का ही माना है अर्थात इसी फैसले के बिन्दू संख्या 48 से 56 की व्याख्या मानते हुए यह भी कहा कि उक्त फेसला व्यवसायिक शिक्षा के संन्दर्भ मे था जबकि स्कूली शिक्षा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अत : स्वायतता के साथ अधिक से अधिक गुणवत्ता पूर्ण संस्थान खुलना जनहित मे मानते हुए निर्णय दिया ।
2. यही आधार महाराष्ट्र विधान सभा ने माना और स्वायतता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वायतता बरकरार रखी एवं नियंत्रण भी रखने का रास्ता सुझाया

Shikshaparivar.com

3. कर्नाटक राज्य मे फीस रेगूलेशन ऑफ सरटेन फीस एवं केपीटेशन फीस अधिनियम 1999 लाया गया जिस पर संस्थाएँ उच्च न्यायालय एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट मे गए जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 मे सम्पूर्ण मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय को रैफर करते हुए कर्नाटक बनाम टीएमए पाई (2002) के अनुसार सैटल करने के निर्देश दिए जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनॉक 10.1.2011 को विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए **पैरा न0 26 पर लिखा – कि संस्थाओं को फीस तय करने की आजादी है एवं फीस से असहमत अभिभावको को उचित अधिकारियों को अपनी शिकायत करने की पूरी आजादी है । कर्नाटक कोर्ट ने अपने फेसले मे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए निजी संस्थानों की स्वायतता को अधिक महत्व दिया ।**

29..जब तमिलनाडू मे इतनी ही परेशानी है तो इसमे बदलाव की मॉग क्यों नही हो रही ?

तमिलनाडू मे शिक्षा के क्षेत्र मे निजी शिक्षण संस्थानों व अभिभावको के बीच टकराव , शिक्षा के स्तर मे गिरावट एवं कोर्ट केसेज के अंबार को देखते हुए वहॉ के शिक्षा विदो ने फीस एक्ट मे संशोधन कर किसी अन्य फार्मूले की मॉग करने लगे है । ( )

30..क्या देश के अन्य राज्यों मे फीस एक्ट लागू नही है ?

जी हॉ ... देश मे तमिलनाडू के अलावा कही भी फीस एक्ट लागू नही है । हॉ महाराष्ट्र मे 2011 मे यही तमिलनाडू वाला फीस विधेयक लाया गया लेकिन वहॉ की विधानसभा ने इस पर एतराज करते हुए प्रवर समिति को सोप दिया तथा वहॉ फीस एक्ट को व्यवहारिक प्रावधानों के साथ 2013 मे पास किया तथा सरकार ने लागू करने के लिए 2 वर्ष का समय मॉगा है ताकि किसी को असुविधा ना हो ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Portal

31..महाराष्ट्र एक्ट मे फीस तय करने की क्या प्रक्रिया है ?

1.महाराष्ट्र एक्ट मे फीस तय करने का अधिकार अभिभावक–संस्था परिषद को दिया है ।

2.दोनो मे किसी भी प्रकार से 15 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होने पर वे संभाग लेवल पर अपील कर सकते है ।

3.संभाग लेवल पर अपील से असंतुष्ठ पक्ष – राज्य कमेटी को अपील कर सकते है

32..महाराष्ट्र के एक्ट मे क्या खासियत है –

इसमे फीस अभिभावक–संस्था परिषद करने से दोनो व्यवहारिक एवं वास्तविक पक्ष एवं सुविधाओं की खाना–पूर्ति अथवा वास्तविक उपयोग से वाकिफ होने से सही फेसला सही समय पर ले सकते है एवं यदि दोनो को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा **के लिए कोई बडा फेसला भी लेना पडे तो कभी भी ले सकते है एवं अपने** फैसले की मॉनिटेरिंग भी स्वयं ही करते है

अत : फैसला लेने से ले कर उसे लागू करने की जिम्मेवारी एक ही संस्था के पास होने से वह फैसले की मंशानुरूप कार्य योजना अमल मे ला सकते है जो किसी भी फैसले का व्यवहारिक पहलू होने के साथ ही उसकी सफलता / असफलता का मुख्य कारक होता है ।

इसमे अपील करने के दो विकल्प दिये गये है जो न केवल हर किसी के लिए सुलभ है बल्कि नि : शुल्क है । जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त का पालन के लिए जरूरी है ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

श्रीमान रामचरण जी बोहरा साहब,

सांसद, जयपुर शहर एवं महामंत्री,

बीजेपी राजस्थान प्रदेश ।

विषय – राजस्थान मे स्थानीय निकाय चुनावों मे सहयोग करने का प्रस्ताव ।

प्रसंग – राजस्थान भर की निजी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग मे आंदोलन चलाने के कारण हमारे संगठन का समस्त राजस्थान भर मे अच्छा समर्थन है ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन इस प्रकार है –

1 हम अपने संगठन की तरफ से आपको सौदेबाजी का प्रस्ताव देते हुए हमे यद्यपि हमे अच्छा नही लग रहा लेकिन यह कडवी सच्चाई है कि विगत तीन माह से शांतिप्रय आंदोलन चलाने के बावजूद सरकार का कोई अधिकारी हमसे मिलने तक को तैयार नही जैसे के हम अछूत है ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

2. हमारे जायज मॉगे है जिनका हमने एक ज्ञापन तैयार कर रखा है जो वैधानिक के साथ ही व्यवहारिक एवं मा0 वसुन्धरा जी के निजी क्षेत्र मे रोजगार के वादे के अनुरूप ही है ।
3. हम निम्न कार्ययोजना के तहत जहॉ –' जहॉ स्थानीय निकाय चुनाव है वहॉ आपकी भरपूर मदद करेगे । वह भी आपके स्थानीय प्रत्याशी के समर्थन म बाकायादा महसूस कराते हूए ।

1.यह मदद निम्न चरण मे होगी – बाकायादा राजस्थान के उन सभी पदाधिकारियो / मंत्रियों की जो वहॉ मोर्चा संभालेगें की, एक मीटिंग एक दो दिन मे जयपुर मे आपकी अध्यक्षता एवं प्रभारी मंत्रीयों की मोजूदगी मे रख कर उसम हम सारा प्लान उनको समझा देगें ।

2. वे लोग आपके किस छोटे पदाधिकारी अथवा प्रत्याशी के अराजनैतिक मित्र की देख रेख मे स्वयं स्टाफ व मित्र गणों को प्रत्याशी से अपने नजदीकी रिलेशन की बात कहते हूए केवल इस बार समर्थन की मॉग करेगे । यह मॉग कॉमन अभिभावको से भी संस्था करेगी इसे बिना राजनैतिक पक्ष बनाते हुए ।

आप कल्पना करे एक पार्षद एरिया मे कम से कम हमारे 50 स्कूल होते है जिनमे से प्रत्ये कमे कम से कम 10 का स्टॉ भी मान लो तो – 500 व्यक्ति हो जाते है और उनके परिवार जन एवं मित्र – आप समझ सकते है कि एक बडा ऑकडा

यदि आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करे तो हमे बुला लेवे – हम 05 सदस्य आ कर अपनी मॉग व अपना समर्थन प्लान आपको विस्तारपूर्वक समझा देगे ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total